

भारत-पाक युद्ध से प्रभावित हुए संभाव्य  
के सीमावर्ती क्षेत्रों पर किया गया व्यय

4234. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :  
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या अन्न और पुनर्वास मंत्री यह बताने  
की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत भारत-पाक युद्ध से  
प्रभावित पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों पर  
केन्द्रीय सरकार ने पहले ही 12 66 करोड़  
रुपये का व्यय कर दिया है,

(ख) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय  
सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित  
किया है कि उक्त क्षेत्रों पर 16 करोड़ रुपये  
की अतिरिक्त राशि व्यय किये जाने की  
आवश्यकता है, और

(ग) केन्द्र द्वारा दी गई तथा दी जाने  
वाली सहायता से पंजाब के इन सीमावर्ती  
क्षेत्रों में और जम्मू के छम्ब-जोरिया क्षेत्र में  
अब तक क्या पुनर्वास कार्य किया गया है ?

अन्न और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ  
रेड्डी) : (क) 1971 के भारत-पाक युद्ध से  
प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय राष्ट्रिको  
को निर्धारित दरों पर अनुग्रह पूर्वक राहत और  
पुनर्वास सहायता देने के लिए भारत सरकार ने  
पंजाब सरकार को खर्च करने के अधिकार  
दे दिये हैं। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा  
किये गये सम्पूर्ण खर्च की प्रसिध्दति भारत  
सरकार द्वारा की जाती है।

पंजाब सरकार से प्राप्त जानकारी के  
अनुसार 28-2-1973 तक इस प्रयोजन

के लिए पञ्जाब सरकार ने 13.14 करोड़  
रुपये खर्च किये हैं।

(ख) जी, नहीं, किन्तु पंजाब सरकार के  
जो क्षेत्र अब पाकिस्तानी सेना द्वारा खाली  
किये गये हैं उनके पुनर्निर्माण तथा पुनर्ब्यवस्था-  
पन के लिए लगभग 8 00 करोड़ रुपये की  
योजनाएँ तैयार की हैं। इस योजनाओं की  
जाच कर ली गई है और भारत सरकार की कृतियाँ  
जारी की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों के विस्थापित  
व्यक्तियों को तब तक नकद अनुदान मिलता  
रहेगा जब तक कि वे एक फसल काद नहीं  
लेते।

(ग) पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर  
की सरकारों ने 28-2-1973 और  
14-3-1973 तक क्रमशः 13 14 करोड़  
और 8 94 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।  
यह धारा की जाती है कि इन विस्थापित  
व्यक्तियों का पुनर्ब्यवस्थापन पंजाब में लगभग  
3 से 4 महीनों के अन्दर तथा भूमि उपलब्ध  
होने पर जम्मू और कश्मीर में मार्च, 1974  
तक पूरा हो जायेगा।

सरकार की विभागीय तस्वीरों को पुनर्-  
निर्माण दरों पर खर्च का बिना जाना

4235. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :  
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या अन्न और पुनर्वास मंत्री यह बताने  
की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संसद सदस्यों की इच्छाकार  
समितियों के हैदराबाद में लगभग सर्वसम्मति